न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 02 / 2019
दायर दिनांक :— 01—02—2019
निर्णय दिनांक :— 13—08—2019

अनवान

श्री मांगीलाल पिता डाऊ जी जाति गुर्जर निवासी मादडा ग्राम पंचायत वणाई पंचायत समिति राजसमंद जिला राजसमन्द

———निगराकार

बनाम

1. श्री सोहनलाल पिता डाऊ जी निवासी मादडा ग्राम पंचायत वणाई पंचायत समिति राजसमन्द जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत वणाई जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत वणाई पंचायत समिति राजसमंद जिला राजसमन्द

———गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत वणाई के संकल्प संख्या 5(2) दिनांक 12.03.2004 के अनुसरण में पट्टा कमांक 13361 जो पुस्तक संख्या 26 से दिया गया उसे निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :—

1— श्री अब्दुल हकीम चुडीगर, अधिवक्ता निगराकार
2— श्री मुकेश तलेसरा अधिवक्ता गैर निगराकार

—: निर्णय :—

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । निगराकार द्वारा गैर निगराकार श्री सोहनलाल पिता डाऊ जी जाति गुर्जर को पटटा संख्या 13361 के विरूद्ध पेश की है। निगराकार एवं गैर निगराकार दोनों भाई है। पुश्वैनी मकान का पटटा गैर निगराकार द्वारा अकेले के नाम जारी करवा लेने से व्यथीत होने से यह निगरानी पेश की गई ।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि निगराकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 आपस में सगे भाई होकर कुल आठ भाई बहिन है। इनके पिता श्री डाऊ जी का स्वर्गवास हो चुका है एवं इनकी माता श्रीमती खेगीबाई बेवा डाऊ जी अभी जीवित है। स्वर्गीय डाऊ जी ने अपने जीवनकाल में उनकी सम्पूर्ण जायदाद जो कि स्वअर्जित एवं पैतृक थी का उनके सभी पुत्र पुत्रीयों में बंटवाडा कर दिया जो सभी अपने अपने

हिस्से पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। राजस्व ग्राम मादडा में स्थित उनके पुश्तैनी कब्जेशुदा जमीन का बंटवाडा श्री डाऊ जी ने निगराकार मांगीलाल एवं गैर निगरानीकार संख्या एक सोहनलाल को संयुक्त रूप से यह कहते हुऐ कि दौनो का बराबर हिस्सा रहेगा एवं हिस्से अनुसार दोनों ही अपने अपने हिस्से पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। गैर निगरानीकार संख्या एक सोहनलाल ने उसके हिस्से की जमीन पर पक्का निर्माण कर शेष जमीन निगराकार मांगीलाल की छोड रखी है जो मांगीलाल के कब्जे आधिपत्य में है। निगराकार मांगीलाल अहमदाबाद में रह अपना व्यापार करता है। मांगीलाल पिछले 40 वर्षों से अहमदाबाद में ही रह रहा हे एवं कभी कभार आकर गॉव में रहता है और खेती बाडी सम्भाल कर अहमदाबाद चला जाता है। अभी पॉच सात रोज पूर्व निगराकार गॉव मादडा में शादी ब्याह होने से मायरे के लिए आया तो देखा कि गैर निगरानीकार संख्या एक सोहनलाल ने उसके उक्त वर्णित हिस्से के बाडे पर दिवार बना कर कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर निगराकार ने रोका तो उसने यह धमकी दी कि उसके पास पंचायत का पट्टा है जिस पर निगराकार ने कहा कि जमीन तो पिता जी की है भाई बंटवाडे में आधा हिस्सा मुझे मिला है तुमने अपने हिस्से पर मकान बना लिया है अब मुझे मेरे हिस्से पर मकान बनाना है। जिस पर गैर निगरानीकार संख्या एक ने प्रार्थी निगराकार को यह कहते हुये जान से मारने की धमकी दी कि बाडे के सारे कागजात पंचायत ने मेरे नाम से बना दिये है यदि बाडे की तरफ आया तो जान से मार दूंगा। जिस पर परेशान हो निगराकार ने ग्राम पंचायत वणाई में जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 12.03.2004 को गैर निगरानीकार संख्या एक के नाम पट्टा देने का आदेश हुआ जो विकास शिविर 2004 के केम्प में कार्यवाही में हुई थी। निगरानीकार ने उसी रोज ग्राम पंचायत वणाई में पट्टै की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत वणाई के ग्राम विकास अधिकारी ने निगरानीकार को आबादी भूमि विक्रय विलेख नियम 167(1) के अन्तर्गत दिये पट्टे की सत्य प्रतिलिपी दी जिसे देखने पर ज्ञात हुआ कि गैर निगरानीकार संख्या एक ने निगराकार की खाली पडी जमीन को मिलाते हुए पुराने कब्जे के विनियमितिकरण हेतु आवेदन करते हुए सम्पूर्ण जमीन जो नपती में $10 + 85/2*38 + 28/2$ वर्गफीट भुमि का पट्टा प्राप्त कर लिया है। पट्टे प्राप्त करने का कारण बैंक से ऋण लेने के उद्येश्य दर्शित किया है। पट्टे देखने मात्र से धोखाधडी स्पष्ट प्रतीत हो रही है। पट्टा राजस्व शिविर में जारी किया गया जिसके तहत प्रार्थी निगराकार के कब्जे का ध्यान नहीं रखते हुऐ गलत तरीके से रिपोर्ट बना दी गई। पंचायत राज अधिनियम में नियम 146 के तहत कमेटी का गठन होकर तीन बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी जाती है लेकिन कमेटी ने नियमों की अनदेखी कर गैर निगरानीकार संख्या एक जो कि राजनैतिक एवं काफी प्रभावशाली व्यक्ति है पंचायत में उसका दबदबा है गलत तरीके से कार्यवाही कर प्रार्थी निगराकार की जमीन को अपनी दर्शाते हुए उसके मकान से सलग्न बता पट्टा प्राप्त कर लिया है जो काबिल निरस्त है। अतः निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे व ग्राम पंचायत वणाई द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त किया जावे ।

गैर निगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि राजस्व ग्राम मादडा में स्थित उनके पुश्तैनी कब्जेशुदा जमीन का बंटवाडा श्री डाऊ जी ने निगराकार मांगीलाल एवं गैर निगरानीकार संख्या एक सोहनलाल को संयुक्त रूप से यह कहते हुऐ कि दौनो का बराबर हिस्सा रहेगा एवं हिस्से अनुसार दोनों ही अपने अपने हिस्से पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। गैर निगरानीकार संख्या एक सोहनलाल ने उसके हिस्से की जमीन पर पक्का निर्माण कर शेष जमीन निगराकार मांगीलाल की छोड रखी है जो मांगीलाल के कब्जे आधिपत्य में है। विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया पटटा विधि अनुसार जारी किया गया है। निगराकार एवं गैर निगराकार के आपस में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत बांटबारे का दावा

सम्बन्धित न्यायालय में चल रहा है। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या एक को जारी किया गया पटटा सही एवं वैधानिक है। निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमायी एंव इस सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी सव्यय खारीज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । दिनांक 10.06.1998 को जारी तहरीर आपसी बांटवारा में मांगीलाल एवं सोहन लाल का आधा हिस्सा बताया गया है। साथ ही उक्त पटटे शुदा बाडा संयुक्तरूप से मांगीलाल ,भैरूलाल एवं सोहनलाल द्वारा खरीदा गया है। उसकी रजिस्ट्री में स्पष्टरूप से मांगीलाल का नाम दर्ज हैं । इस प्रकार श्री सोहनलाल द्वारा पैतृक सम्पत्ति बताकर अकेला पटटा जारी नहीं करवाया जा सकता, जबकि उक्त भूखण्ड पैतृक सम्पत्ति होने से श्री मांगीलाल का नाम भी होना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा पटटा केवल श्री सोहनलाल के नाम से गलत जारी किया गया है। अतः ग्राम पंचायत वणाई द्वारा जारी पटटा संख्या 13361 श्री सोहनलाल पिता श्री डाउ गुर्जर निवासी मादडा निरस्त किया जाता है।निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रकरण ग्राम पंचायत वणाई को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि उभयपक्षों की सुनवाई कर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से विधि अनुसार पट्टे जारी करने की कारवाई करें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द